न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – झारखण्ड सरकार ।

बनाम

वाद सं0 02/2023

द्वितीय पक्ष – अंकित कुमार मिश्रा ..... बगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
3/11/23	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 01/2023 दिनांक 03/01/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) झारखण्ड सरकार **बनाम द्वतीय पक्ष** (1) अंकित कुमार मिश्रा उम्र 25 वर्षं पिता ब्रजमोहन मिश्रा, ग्राम तेतरा सायटोली थाना बसिया जिला गुमला द्वितीय पक्ष के द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा डालना, सार्वजनिक स्थल में शांति व्यवस्था भंग का प्रयास करने संबंधी विवाद किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने की संम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । द्वितीय पक्ष को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। द्वितीय पक्ष न्यायालय में अनुपस्थि रहे है :– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान द्वितीय पक्ष के द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः द्वितीय पक्ष के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । 3/11/23 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.07.09 14:02:00 +05:30
Location: 192.168.1.10